



(स्पोड पोस्ट)

बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद्

परिवेश भवन, एन.एस-बी/2, पाटलीपुत्र, औद्योगिक क्षेत्र,
पो0-सदाकत आश्रम, पटना-800010

पत्रांक:

पटना, दिनांक:

प्रेषक,

एस0 चन्द्रशेखर, भा0 व0 से0

सदस्य-सचिव

सेवा में,

सदस्य सचिव,

राज्य पर्यावरण समाघात निर्धारण प्राधिकरण,

बेल्फोन भवन, शास्त्री नगर,

पटना-800023.

विषय: मेसर्स अंबुज शर्मा, सियाराम सदन, मगध कॉलनी, रोड नं०: 02, चंदौती, गया (गया फल्गू नदी बालू घाट-09, मौजा-मंडौल, रौना और तारका, अंचल-गया टॉउन सी०डी० बलॉक, बेलागंज और खिजरसराय, जिला-गया) में स्थित बालू घाट से बालू उत्खनन कार्य हेतु सम्पन्न लोक सुनवाई के संबंध में।

महाशय,

उपरोक्त विषयक के प्रसंग में सूचित करना है कि पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के अधिसूचना सं०-S.O- 1533, दिनांक 14 सितम्बर, 2006 एवं यथा संशोधित के आलोक में मेसर्स अंबुज शर्मा, सियाराम सदन, मगध कॉलनी, रोड नं०: 02, चंदौती, गया (गया फल्गू नदी बालू घाट-09, मौजा-मंडौल, रौना और तारका, अंचल-गया टॉउन सी०डी० बलॉक, बेलागंज और खिजरसराय, जिला-गया) से बालू खनन हेतु प्राप्त आवेदन के आलोक में दिनांक: 21.08.2023 को सम्पन्न लोक सुनवाई का वृत्त, उपस्थिति पंजी एवं संबंधित सी० डी० की प्रति संलग्न कर अग्रेतर कार्रवाई हेतु भेजी जा रही है।

अनुलग्नक: यथोपरि।

विश्वासभाजन

ह०/-

(एस० चन्द्रशेखर)

सदस्य-सचिव

ज्ञापांक :-

पटना, दिनांक :-

प्रतिलिपि:- जिला पदाधिकारी, गया को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक: यथोपरि।

ह०/-

(एस० चन्द्रशेखर)

सदस्य-सचिव

ज्ञापांक :-

पटना, दिनांक :-

प्रतिलिपि:- मेसर्स अंबुज शर्मा, सियाराम सदन, मगध कॉलनी, रोड नं०: 02, चंदौती, गया (गया फल्गू नदी बालू घाट-09, मौजा-मंडौल, रौना और तारका, अंचल-गया टॉउन सी०डी० बलॉक, बेलागंज और खिजरसराय, जिला-गया) को सूचनार्थ प्रेषित।

अनुलग्नक: यथोपरि।

ह०/-

(एस० चन्द्रशेखर)

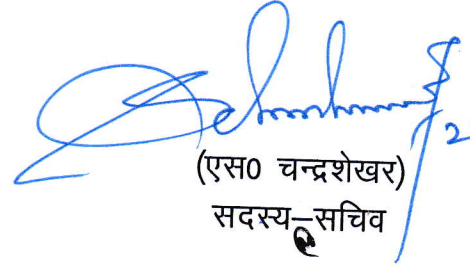
सदस्य-सचिव

ज्ञापांक :- 1871

पटना, दिनांक :- 21.9.23

प्रतिलिपि:- श्री नीरज कुमार, सहायक प्रोग्रामर, बि. रा. प्र. नि. पर्षद, पटना को निदेश है कि दिनांक: 21.08.2023 को की गई लोक सुनवाई का वृत्त, उपस्थिति पंजी एवं संबंधित सी० डी० की प्रति पर्षद के वेबसाईट पर डिसप्ले कराया जाय। दिनांक: 21.08.2023 को की गई लोक सुनवाई का वृत्त, उपस्थिति पंजी एवं संबंधित सी० डी० की प्रति संलग्न की जा रही है।

अनुलग्नक: यथोपरि।


(एस० चन्द्रशेखर)
सदस्य-सचिव

लोक सुनवाई का वृत्त।

मेसर्स अंबुज शर्मा, सियाराम सदन, मगध कॉलोनी, रोड नं० 02, चंदौती, जिला: गया (गया फल्गू नदी बालू घाट: 09, मौजा: मंडौल, रौना और तारका, अंचल: गया टाउन सी० डी० ब्लॉक, बेलागंज और खिजरसराय, जिला: गया) का गया जिला अन्तर्गत बालू खनन परियोजना से संबंधित पर्यावरणीय स्वीकृति के वास्ते अधिसूचना सं०-एस.ओ. 1533, दिनांक 14 सितम्बर, 2006 एवं यथा संशोधित के तहत दिनांक 21.08.2023 को अपराह्न 03:15 बजे अंचल कार्यालय, गया टाउन सी० डी० ब्लॉक, जिला-गया के प्रांगण में लोक सुनवाई की गयी।

यह लोक सुनवाई पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना सं०-एस.ओ.1533, दिनांक 14 सितम्बर 2006 एवं यथा संशोधित के तहत पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा निर्गत TOR File. No. SIA/1(a)/2288/2023, dated 14.02.2023 के आलोक में श्री अंजनी कुमार, अपर समाहर्ता, (जिला पदाधिकारी, गया के प्रतिनिधि) की अध्यक्षता में बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्वद्व द्वारा दिनांक 21.08.2023 को अपराह्न 03:15 बजे अंचल कार्यालय, गया टाउन सी० डी० ब्लॉक, जिला-गया में लोक-सुनवाई आयोजित की गयी। उपस्थिति पंजी संलग्न (अनुलग्नक-1)

इस लोक-सुनवाई की सूचना बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्वद्व द्वारा दैनिक समाचार पत्रों यथा दैनिक जागरण एवं हिन्दुस्तान के माध्यम से दिनांक 19.07.2023 को प्रकाशित की गयी थी (प्रतिलिपि संलग्न)। लोक-सुनवाई के दौरान श्री मनोरंजन कुमार सिंह, क्षेत्रीय पदाधिकारी, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्वद्व, गया द्वारा लोक-सुनवाई में उपस्थित जन-समुदाय एवं सभी संबंधित पदाधिकारियों का स्वागत करते हुए पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन अधिसूचना सं०-एस.ओ.1533, दिनांक 14 सितम्बर 2006 एवं यथा संशोधित के तहत इकाई के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक-सुनवाई की पृष्ठ-भूमि पर प्रकाश डाला गया।

क्षेत्रीय पदाधिकारी द्वारा गया फल्गू नदी बालू घाट: 09, मौजा: मंडौल, रौना और तारका, अंचल: गया टाउन सी० डी० ब्लॉक, बेलागंज और खिजरसराय, जिला: गया के लेसी प्रतिनिधि को मंच के समीप आकर अपना परिचय देने के लिए कहा गया। तदनुसार लेसी प्रतिनिधि के द्वारा अपना परिचय लोक सुनवाई में उपस्थित सभी महानुभावों को दिया गया।

अपर समाहर्ता महोदय द्वारा लोक हित में कार्य योजना से संबंधित सुनवाई के उद्देश्य से उपस्थित लोगों को अवगत कराया गया। साथ ही स्थानीय लोगों से पर्यावरण संरक्षण एवं लोक हित के संबंध में सुझाव माँगा गया।

लोक सुनवाई कार्यक्रम के अध्यक्ष के अनुमति से परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार श्री कुणाल कश्यप ने इकाई की खनन कार्य परियोजना, प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था एवं कॉरपोरेट की सामाजिक जिम्मेदारी (Corporate Social Responsibility) आदि के संबंध में आमजनों को विस्तृत रूप से अवगत कराया। इनके द्वारा सूचित किया गया कि खनन कार्य के उपरान्त परिवहन के दौरान उत्सर्जित होने वाले धूल-कण की रोक-थाम हेतु सड़को पर नियमति रूप से जल छिड़काव किया जायेगा साथ ही वाहनों पर ओवरलोडिंग नहीं की जायेगी एवं वाहनों को तिरपाल से ढक कर ले जाया जायेगा। खनन कार्य सतह से 3 मीटर की गहराई तक या भूजल स्तर से ऊपर तक किया जायेगा। ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने हेतु ध्वनि यंत्र (हार्न) का न्यूनतम उपयोग किया जायेगा। पुराने एवं खराब वाहनों का इस्तेमाल नहीं किया जायेगा। सड़क के किनारे एवं खनन पट्टा क्षेत्र में वृक्षारोपण का कार्य किया जायेगा। परियोजना प्रस्तुतिकरण के पश्चात् उपस्थित महानुभावों द्वारा दिए गए सुझाव/मंतव्य निम्नवत है:-

क्रमांक	नाम एवं पता	प्रतिक्रिया/सुझाव
1.	श्री चिकु शर्मा, पता: मंडौल, जिला: गया।	इनके द्वारा सुझाव दिया गया कि बालू परिवहन के दौरान उत्सर्जित होने वाले धूल-कण की रोक-थाम हेतु दिन में नियमित रूप से जल का छिड़काव किया जाय, बालू से लदे वाहनों के परिवहन के दौरान पूर्ण रूप से वाहनों को तिरपाल से ढक कर परिवहन किया जाय साथ ही स्थानीय नागरीको को प्राथमिकता देते हुये रोजगार दिया जाय। उपरोक्त सुझाव को प्रस्तावक प्रतिनिधि द्वारा स्वीकार किया गया।
2.	श्री रंजीत कुमार यादव, पता: तिनारी, जिला: गया।	इनके द्वारा वायु प्रदूषण की रोक-थाम एवं रोजगार से संबंधित प्रश्न पूछा गया। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि वायु प्रदूषण नियंत्रण की रोक-थाम हेतु निम्न कार्य किया जायेगा:-बालू परिवहन के दौरान उत्सर्जित

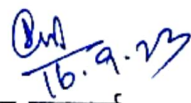
		होने वाले धूल-कण की रोक-थाम हेतु दिन में तीन से चार बार जल का छिड़काव किया जायेगा, बालू से लदे वाहनों के परिवहन के दौरान पूर्ण रूप से वाहनों को तिरपाल से ढक कर परिवहन किया जायेगा साथ ही खनन क्षेत्र के आस-पास सड़क के किनारे वृक्षारोपण किया जायेगा, जिससे स्थानीय ग्रामीणों के कृषि भूमि पर धूलकण का कुप्रभाव न हो। साथ ही बालू उठाव के दौरान, पेड़ पौधों के देख-रेख एवं अन्य कार्यों में स्थानीय नागरिकों को प्राथमिकता देते हुये उनकी योग्यता के अनुरूप रोजगार दिया जायेगा। इसप्रकार परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार ने श्री रंजीत कुमार यादव को अपना जवाब प्रस्तुत कर संतुष्ट किया।
3.	श्री दिपु कुमार, पता: मंडौल, जिला: गया।	इनके द्वारा बालू की चोरी एवं ज्यादा गहराई तक बालू खनन से संबंधित प्रश्न पूछा गया। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि बालू खनन क्षेत्र में बालू की खुदाई 3 मीटर की गहराई तक या भूजल स्तर से ऊपर तक किया जायेगा। साथ ही बालू खनन सरकार के नियमानुसार किया जायेगा। अगर ज्यादा गहराई तक लेसी द्वारा की जाती है तो स्थानीय ग्रामीणों के द्वारा इसकी शिकायत स्थानीय प्रशासन से किया जा सकता है। इसप्रकार परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार ने श्री दिपु कुमार को अपना जवाब प्रस्तुत कर संतुष्ट किया।
4.	श्री रंजीत कुमार, पता: रौना, जिला: गया।	इनके द्वारा सुझाव दिया गया कि नदी के किनारे ज्यादा-से-ज्यादा वृक्षारोपण किया जाय जिससे मिट्टी का कटाव रुक सके। उपरोक्त सुझाव को प्रस्तावक प्रतिनिधि द्वारा स्वीकार किया गया।

5.	श्री अविनाश कुमार, पता: मंडौल, जिला: गया।	इनके द्वारा बालू परिवहन के दौरान उत्सर्जित होने वाले धूल-कण एवं रोजगार से संबंधित प्रश्न पूछा गया। इस संबंध में परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार द्वारा बताया गया कि बालू परिवहन के दौरान उत्सर्जित होने वाले धूल-कण की रोक-थाम हेतु दिन में तीन से चार बार जल का छिड़काव किया जायेगा, बालू से लदे वाहनों के परिवहन के दौरान पूर्ण रूप से वाहनों को तिरपाल से ढक कर परिवहन किया जायेगा साथ ही बालू उठाव के दौरान, पेड़ पौधों के देख-रेख एवं अन्य कार्यों में स्थानीय नागरिकों को प्राथमिकता देते हुये उनकी योग्यता के अनुरूप रोजगार दिया जायेगा। इसप्रकार परियोजना प्रस्तावक के पर्यावरणीय सलाहकार ने श्री अविनाश कुमार को अपना जवाब प्रस्तुत कर संतुष्ट किया।
----	---	---

अध्यक्ष द्वारा बताया गया कि वाहनों से बालू ले जाने के कम में नियमित रूप से परिवहन मार्ग पर जल छिड़काव करेंगे एवं बालू से लदे वाहनों को तिरपाल से ढक कर ही ले जायेंगे, घाटो पर बालू की खुदाई 3 मीटर ही करेंगे। उन्होंने उम्मीद जताया कि इकाई प्रबंधन द्वारा इन उपरोक्त बिन्दुओं पर गम्भीरता से ध्यान रखा जायेगा। साथ ही वैज्ञानिक तरीके से बालू खनन का कार्य एवं विभागीय निर्देश का अनुपालन किया जायेगा।

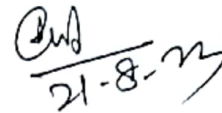
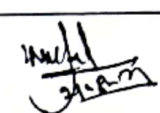
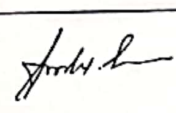
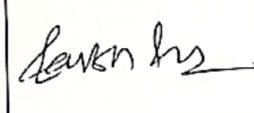
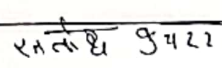
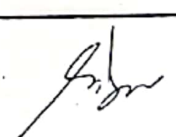
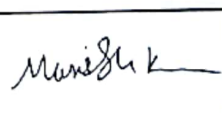
जन-सुनवाई के अंत में उपस्थित जनता के सुझाव को संग्रहित करते हुए सर्वसम्मति से बालू घाट के खनन परियोजना को शीघ्र प्रारंभ करने के लिए सक्षम प्राधिकार को अनुशंसा करने का निर्णय लिया गया। तत्पश्चात् लोक सुनवाई सधन्यवाद समाप्त करने की घोषणा की गयी।


 क्षेत्रीय पदाधिकारी
 बि.रा.प्र.नि.प.स.द.,
 गया


 अपर समाहर्ता,
 गया

उपस्थिति सूची

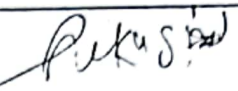
मेसर्स अंबुज शर्मा, सियाराम सदन, मगध कॉलनी, रोड नं०: 02, चंदौती, गया द्वारा गया फल्गू नदी बालू घाट-09, मौजा-मंडौल, रौना और तारका, अंचल-गया टॉउन सी०डी० ब्लॉक, बेलागंज और खिजरसराय, जिला-गया का प्रस्तावित बालू खनन परियोजना हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति दिनांक: 21.08.2023 को 11:00 बजे पूर्वाह्न में गया टॉउन सी०डी० ब्लॉक, जिला-गया में आयोजित लोक सुनवाई के दौरान उपस्थित महानुभावों की सूची:

क्र०सं०	नाम	पता	हस्ताक्षर
1.	अंजलि कुमार	अपर धाट्टा गाम	 21-8-23
2.	मनीष कुमार सिंह	श्रीम पद्मिनी वि०५ नि पद्मिनी	
3.	कुणाल कश्यप	खरमनचक, गौतपुर	
4.	अम्बुज शर्मा	मगध कॉलनी रोड नं०-2 9433325700	
5.	Ravish Kumar	रौना 9364799829	
6.	सुनील कुमार	मंडौल 9433325700	
7.	संजय कुमार	रौना 9939211013	
8.	दीपक कुमार सिन्हा	तारका 7667642895	
9.	मनीष कुमार	मंडौल	

10.	विमला कुमारी	मोबा 7070913736	विमला कुमारी
11.	Vivek Kumar	मोबा. 9934376222	वेक 21/8/23
12.	रजित कुमारी	मोबा. 8210600466	रजित कुमारी
13.	अनिल माडग	मोबा. 9801081899	अनिल
14.	अश्विनाथ कुमारी	8294812004 मोबा.	अश्विनाथ कुमारी
15.	रजनीश कुमारी	मोबा. 7484809089	Rashmi K
16.	Suresh Yadav	मोबा. 8789334864	Suresh
17.	महेश माडग	मोबा. 8783424888	महेश माडग
18.	गोपाल कुमारी	मोबा. 8809540302	गोपाल
19.	रजनीश कुमारी	मोबा. 9871119385	Rakshan Kumar
20.	गोपाल कुमारी	मोबा.	गोपाल कुमारी

21.	Shiva Kumar	मंडोल	Sikro Shiva k
22.	Vipul Kumar	मंडोल	~~V~~
23.	Sunny	mandaul	Sunny K
24.	रंजीत कुमार	मंडोल	रंजीत
25.	Dipu Singh.	Rauna.	Dipu
26.	हरीश सिंह	Rauna	~~Rauna~~ Chota Singh
27.	उमा सिंह	महादेव विहार	उमा सिंह
28.	मधुसूदन	मंडोल	मधुसूदन
29.	अमर यादव	तेलवीद्या	अमर यादव
30.	सोनी सिंह	मंडोल	सोनी
31.	रंजय यादव	तेलवीद्या	रंजय

32.	21/1/22 1155	21/1/22	21/1/22 1155
33.	पल्लु कुमार	पल्लु 9958228815	पल्लु कुमार
34.	4/1/22 117 L	8987024758 रंजीत	4/1/22 117 L
35.	SATISH SHARMA	RANWA 9971818584	Sany
36.	Sarish Kumar	रंशित 9572532396	Sarish Kumar
37.	Karan Kumar	रंशित 9341082353	Karan Kumar
38.	Sonu Singh	रंशित 6205773752	Sonu Singh
39.	Amit Kumar	जिगिम 7739952653	Amit Kumar
40.	Golu Kumar	जिगिम 6204751165	Golu Kumar
41.	VISHAKH	MANDAR 6204500428	Vish
42.	Rahul Yadav	Rouna 8002879541	Riz

43.	Wendy Godav	સિડી 9199016335	સિડી
44.	Deepak Kumar	સોના 7033125935	
45.	Kundan Kumar	સોના 7484816188	
46.	પીકુશામી	8210600466 સિડી	
47.	રંજીત ચાવ્લા	તિનેરી 9631070746	રંજીત ચાવ્લા
48.	રાહુલ ગુપ્તા	સોના 8825173859	રાહુલ ગુપ્તા
49.	મુકેશ ચાવ્લા	8809354747 સોના	
50.			

पटना, 19 जुलाई, 2023 दैनिक जागरण 15

पृष्ठ 12 आरकाप

बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्वद

ई-मेल: msbspch-bih@gov.in, वेबसाइट: <http://bspch.bihar.gov.in>

लोक-सुनवाई की सूचना

पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के ई.आई.ए. अधिनियम संख्या एन.ओ. 1833, दिनांक 14.09.2006 एवं तथा संशोधित अधिनियमों के आलोक में राज्य पर्यावरण सभागत नियंत्रण प्राधिकरण के समक्ष मैसर्स अंजुज सॉल्यू, सियाराम सवन, गगध कॉलनी, रोड नं० 02, चंदेरी, गया (गया जिला) नदी बालू घाट-08, मौजा-मंडील, टीना और तारका, अंचल-मया टॉउन सी०डी० बसोंक, बेलागंज और खिजरसराय, जिला-गया) द्वारा कल्लू नदी के बालू घाट (गया जिला-08) में प्रस्तावित बालू खनन परियोजना हेतु पर्यावरणीय स्वीकृति का प्रस्ताव विचारणीय है।

इस परियोजना के कार्यान्वयन के पूर्व पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु राज्य पर्यावरण सभागत नियंत्रण प्राधिकरण द्वारा TOR (Terms of Reference) निर्गत की गयी है तथा लोक-सुनवाई की जाती है।

परियोजना का पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन प्रतिवेदन तैयार किया गया है। जिसमें संभावित सुप्रभावों को निरस्त करने के उपाय प्रस्तावित हैं। उक्त प्रतिवेदन तथा परियोजना के कार्यपालक सार की प्रति पर्वद मुख्यालय, पटना, जिला पदाधिकारी, गया, कार्यपालक पदाधिकारी, जिला प्रबन्ध, मया: महाप्रबंधक, जिला अधीन केन्द्र, मया एवं जिला खनन कार्यालय, मया के कार्यालय में प्रत्यक्ष क्षेत्र के लोगों के अवलोकनार्थ उपलब्ध है। परियोजना की विवरणी का अवलोकन पर्वद के वेबसाइट <http://bspch.bihar.gov.in> पर भी किया जा सकता है। वैसे व्यक्ति जो इस परियोजना से प्रभावित होने वाले हैं, अपना लिखित सुझाव/विचार एवं मंतव्य इस सूचना प्रकाशन के 30 (तीस) दिनों के अन्दर पर्वद कार्यालय में जमा कर सकते हैं। साथ ही पर्वद के ई-मेल: msbspch-bih@gov.in पर अथवा लोक के माध्यम से भी लिखित सुझाव/विचार एवं मंतव्य भेजी जा सकती है।

परियोजना प्रभाव क्षेत्र के नागरिकों के लिए लोक-सुनवाई निम्नानुसार आयोजित किया गया है:-

दिनांक:	समय	अंचल का नाम	बालू घाट का मौजा	बालू घाट का नाम	लोक-सुनवाई का स्थल
21.08.2023	पूर्वाह्न 11:00 बजे	अंचल-मया टॉउन सी०डी० बसोंक बेलागंज और खिजरसराय	मया जिला अन्तर्गत मौजा-मंडील, टीना और तारका।	मया जिला-08	मया टॉउन सी०डी० बसोंक, जिला-गया

सभी आम लोगों/संबंधित से अनुरोध है कि उपरोक्त लोक-सुनवाई के दौरान सरकार द्वारा निर्गत कोविड-19 गाइड-लाइन का पालन करते हुए परियोजना के संबंध में अपने मंतव्य/सुझाव/विचार से अवगत करावें।

सदस्य सचिव

PR. No. 005435 (PH.NI) 2023-24

मशीन से बनायी गयी है, क्योंकि परिवार जरूरी है।

